कार्यालय प्रस्थापना अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

सं /रिट 16245/2019 दिनांक 2020

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित संख्या 16245/2019, श्री राजकुमार यादव व अन्य 07 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य 03 को निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया।

1. In such view of the matter, present petition stands disposed of with a direction to the respondent no. 2 to decide the representation of the petitioner preferably within a period of four months from the date of production of a certified copy of this order before him.

It is made clear that this Court has not at all considered the claim of the petitioners on merits, the same shall be considered by the respondent no. 2 strictly in accordance with law without being influenced by any observation made by this Court.

With the aforesaid observations, present petition stands disposed of.

2. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न कर याचीगण सर्व श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री उदयवीर सिह, निवासी–जी–51 नवीन परिसर, दुवासू, मथुरा उ0प्र0 व अन्य 07 ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.2019 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न करते हुए अवगत कराया कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ तत्काल प्रदान किया जाये।

3. उक्त वादीगण सेवानिवृत्त कर्मचारी टेलीफोन आपरेटर/दैनिक लिपिक/दैनिक श्रमिक के रूप में विश्वविद्यालय स्थापना के पूर्व पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय मथुरा के विभिन्न विभागों में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय स्थापना के बाद याचीगणों का विनियमितीकरण कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या कमशः 2/1/87–का–2–1998 दिनांक 09.07.1998 व 15 रिट/का–2–2001 दिनांक 21.12.2001 के आधार पर समूह "ग" व "घ" की विश्वविद्यालस द्वारा तैयार की गयी विनियमितीकरण नियमावली 2006 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी थी। नियुक्ति आदेश के बिन्दु 7 में यह उल्लेख किया गया है कि "विश्वविद्यालय में यह नवीन नियुक्ति होगी तथा नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा"। याचीगणों की नियुक्ति, वर्ष 2008 व 2009 के विभिन्न माह में हुई है।

4. उ0प्र0 सरकार वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के अधिसूचना संख्या–3–379/दस–2005–301 (9)–2003 दिनांक 28 मार्च 2005 के अनुसार "नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" दिनांक 1 अप्रैल 2005 से लागू हो गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु–1 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार सेवा में और ऊपरलिखित राज्य नियत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू

होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें 1 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष से कम की हो भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

5. चूंकि उपरोक्त याचीगण की नियुक्ति 01.04.2005 के बाद की है। इसलिए इन पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नियमानुसार ही लागू होती है। याचीगण 1 अप्रैल 2005 से पूर्व के पुरानी पेंशन की सेवा शर्ते पूर्ण नहीं करते हैं।

अतः रिट याचिका संख्या 16245/2019 श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री उदयवीर सिंह डी–51 नवीन परिसर वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा व अन्य 07 के प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.2019 को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय आदेश दिनांक 19.10.2019 के परिपालन में अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

उक्त ज्ञाप सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 15.02.2020 के कम में जारी किया जाता है।

प्रस्थापना अधिकारी